

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

अधि. सं.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उप धारा 1 एवं 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में झारखण्ड राज्यपाल एतद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को इससे प्रभावित होनेवाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचित किया जाता है कि राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक के लिए आपत्ति एवं सुझाव की मांग की जाती है।

2. प्रारूप नियमावली पर उक्त अवधि के भीतर किसी व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

3. यदि कोई आपत्तियों एवं सुझाव हो तो उसे निदेशक (भू-अर्जन), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

प्रारूप नियमावली

अध्याय 1
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. यह नियमावली "झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
3. यह राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।

1. इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)

(ख) "प्रशासक" से अभिप्रेत है धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी।

(ग) प्रभावित क्षेत्र से अभिप्रेत है ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र जहाँ भूमि अर्जन किया जाना है।

(घ) "उपयुक्त सरकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार और इसके अन्तर्गत है धारा-3 के खंड (ड़) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित जिला का उपायुक्त।

(ङ) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार,

(च) "समाहर्ता" से अभिप्रेत है उपायुक्त और इसके अन्तर्गत है अपर समाहर्ता, अपर उप समाहर्ता और इस अधिनियम के अधीन समाहर्ता के सभी अथवा किसी कृत्य को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित कोई अन्य पदाधिकारी जैसे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी।

(छ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का आयुक्त,

(ज) "प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र,

(झ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम-2013 का 30 की धारा,

(ञ) "एस.आई.ए." से अभिप्रेत है सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन,

(ट) "एस.आई.ए. इकाई" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन करने के लिए और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को तैयार करने के लिए नियुक्त एजेंसी अथवा एजेंसियाँ,

(ठ) "सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन किया जानेवाला मूल्यांकन,

(ड) "सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन सामाजिक प्रभाव निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार की गई योजना,

(ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

(ण) “ग्राम सभा” से अभिप्रेत है, ग्राम सभा जैसा कि झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में परिभाषित है।

(प) “शहरी क्षेत्र” से अभिप्रेत है वह निगम क्षेत्र जैसा कि झारखण्ड नगर अधिनियम 2001 में परिभाषित है।

2. इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए हों।

अध्याय II

भूमि अर्जन के लिए अधियाचना

3. भूमि अर्जन क लिए अधियाचना

(1) अधियाची निकाय द्वारा प्रपत्र I में, यथास्थिति, निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव समाहर्ता को प्रस्तुत की जायेगी :—

(i) प्रपत्र-I में प्रस्ताव

(ii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन,

(iii) प्रशासनिक स्वीकृति/संबंधित विभाग/अधियाची निकाय का प्रस्ताव।

(iv) परियोजना की अनुमानित लागत,

(v) अर्जनाधीन भूमि को दर्शानेवाला ग्राम मानचित्र (मानचित्रों) की तीन प्रतियाँ,

(vi) अर्जित की जानेवाली भूमि के खतियान की प्रमाणित प्रतियाँ,

(vii) यह सूचना कि क्या भूमि सिंचित बहुफसली है, यदि यह सिंचित बहुफसली भूमि है तो क्या यह धारा 10 के परन्तुक के अधीन आच्छादित है, यदि नहीं, तो भूमि को अर्जित करने के लिए प्रदर्शनीय विशिष्ट परिस्थितियाँ क्या हैं।

(viii) समाहर्ता द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज अथवा सूचना।

(2) प्रस्ताव प्राप्त होने पर समाहर्ता स्थल का दौरा करने और यह जाँच पड़ताल करने के लिए क्या प्रस्ताव धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों से संगत है, राजस्व और कृषि पदाधिकारियों/वन विभाग के पदाधिकारी और अन्य कोई पदाधिकारी जो उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाय, का एक दल गठित करेगा। दल अधियाची निकाय के साथ क्षेत्र का दौरा करेगा, राजस्व अभिलेख की पड़ताल करेगा, प्रभावित होनेवाले संभावित परिवारों से

